संख्या-77/2024/आई/510585/23-1-24/001-23-1002(002)/49/2024

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ :दिनांक 04 मार्च, 2024

विषय- वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से विभिन्न जनपदों के 21 मार्गों के नवनिर्माण कार्यों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के अधोलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार **विभिन्न जनपदों के 21 मार्गों के नवनिर्माण कार्यों हेतु कुल लागत रू0 38,67,76,000/- (रूपये अड़तीस करोड़ सड़सठ लाख छियत्तर हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षक-5054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से कुल **रू0 7,73,52,000/- (रूपये सात करोड़ तिहत्तर लाख बावन हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र सं	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 का पत्र संख्या व दिनांक	खण्ड/ जनपद	कार्य का नाम	कुल लम्बाई (कि0मी0 में)	कुल लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	470/(54-सी)/समग्र वृत्त/2023-24 , दिनांक 26.02.2024	नि0खं0-1 शाहजहांपुर	मोहल्ला नितगंजा से हरनौखा सम्पर्क मार्ग।	4.590	457.26	91.45
2	470/(54-सी)/समग्र वृत्त/2023-24 , दिनांक 26.02.2024	नि0खं0-1 शाहजहांपुर	वरखैड़ा जयपाल से करौधी सम्पर्क मार्ग।	1.350	166.04	33.20
3	470/(54-सी)/समग्र वृत्त/2023-24 , दिनांक 26.02.2024	प्रा0खं0 शाहजहांपुर	मझिला से रसिया खानपुर तक मार्ग के नवनिर्माण का कार्य।	1.850	199.56	39.91
4	371/(54-सी)/समग्र वृत्त/2023-24 , दिनांक 16.02.2024	नि0खं0-1 शाहजहांपुर	मिर्जापुर गुलडिया से मोहम्मदपुर गुलडिया (छूटी कड़ी) सम्पर्क मार्ग।	0.500	49.46	9.89
5	371/(54-सी)/समग्र वृत्त/2023-24 , दिनांक 16.02.2024	नि0खं0-1 शाहजहांपुर	औदापुर मोड़ से हटीपुर कुरिंया गंगानगर शमशेरपुर गुमटा होते हुये मदनापुर सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3.300	370.52	74.10
6	371/(54-सी)/समग्र वृत्त/2023-24 , दिनांक	नि0खं0-1 शाहजहांपुर	कुरियाकला से पथराखास सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	3.700	362.74	72.55

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र सं	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 का पत्र संख्या व दिनांक	खण्ड/ जनपद	कार्य का नाम	कुल लम्बाई (कि0मी0 में)	कुल लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
	16.02.2024					
7	209/(54-सी)/समग्र वृत्त/2023-24 , दिनांक 30.01.2024	प्रा0खं0 अमेठी	भीमी बरतला पिच मार्ग से रामपाती होते हुये तिहैतन(भीमी) तक सम्पर्क मार्ग।	1.900	133.30	26.66
8	209/(54-सी)/समग्र वृत्त/2023-24 , दिनांक 30.01.2024	प्रा0खं0 अमेठी	अमेठी विशेषरगंज मार्ग से सतऊ का पुरवा से सिलोखर होते हुये धनापुर तक सम्पर्क मार्ग।	3.060	206.39	41.27
9	209/(54-सी)/समग्र वृत्त/2023-24 , दिनांक 30.01.2024	प्रा0खं0 अमेठी	अमेठी शाहबरी मार्ग से ननकूदास जी की कुटी से राजू का पुरवा (नरैनी) तक सम्पर्क मार्ग ।	2.470	158.16	31.63
10	209/(54-सी)/समग्र वृत्त/2023-24 , दिनांक 30.01.2024	प्रा0खं0 अमेठी	टीकरमाफी बालीपुर पिच मार्ग से जामो भादर पिच मार्ग तक सम्पर्क मार्ग।	2.250	153.73	30.75
11	373/(54-सी)/समग्र वृत्त/2023-24 , दिनांक 16.02.2024	नि0खं0-3 सुल्तानपुर	पुरे ओरी (डोभियारा) सम्पर्क मार्ग।	1.300	85.58	17.11
12	114/(54-सी)/समग्र वृत्त/2023-24 , दिनांक 18.01.2024	नि0खं0-3 सुल्तानपुर	मकसूदनपुर सम्पर्क मार्ग के किमी0 02 से निकलकर दिनेश कुमार के घर तक सम्पर्क मार्ग।	0.570	42.29	8.46
13	2670नि0/118-01नि0/2023 , दिनांक 28.01.2024	प्रा0खं0 प्रयागराज	चक लाल मोहम्मद पेट्रोल पम्प (रीवा रोड) से एफ0 सी0 आई0 मुख्य मार्ग के नव निर्माण का कार्य।	1.55	286.59	57.32
14	2693नि0/108-01नि0/2023 , दिनांक 29.01.2024	प्रा0खं0 प्रयागराज	राजापुर ओम नगर में डी यादव के घर से मन्दाकिनी मिश्रा के मकान से आगे मोहन ठाकुर के घर तक मार्ग का नव निर्माण कार्य।	0.50	68.61	13.72
15	2693नि0/108-01नि0/2023 , दिनांक 29.01.2024	प्रा0खं0 प्रयागराज	अशोक नगर क्षेत्र में अर्चना पार्क से लेकर मुन्नी लाल पासी के घर तक मार्ग का नव निर्माण कार्य।	0.50	72.07	14.41
16	2693नि0/108-01नि0/2023 , दिनांक 29.01.2024	प्रा0खं0 प्रयागराज	अशोक नगर नेवादा अर्चना पार्क से मालवीय जी के घर होते हुए उमा देवी के घर से होकर सुरेश विश्वकर्मा के घर होते हुए वी0 उपाध्याय के घर तक मार्ग का नव निर्माण कार्य।	0.80	115.30	23.06
17	2693नि0/108-01नि0/2023 , दिनांक 29.01.2024	प्रा0खं0 प्रयागराज	फाफामऊ गंगा नगर मोहल्ले में लखनऊ रोड श्री राम आसरे के घर से श्री अमित शर्मा तक	1.50	173.30	34.66

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र सं	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 का पत्र संख्या व दिनांक	खण्ड/ जनपद	कार्य का नाम	कुल लम्बाई (कि0मी0 में)	कुल लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
			प्रस्तावित नवीन थाना तक एवं श्री यशवंत कुमार के बगल होते श्याम प्रकाश मुखर्जी डिग्री कालेज के पीछे सेक्टर ए शान्तिपुरम तक मार्ग का नव निर्माण कार्य।			
18	2693नि0/108-01नि0/2023 , दिनांक 29.01.2024	प्रा0खं0 प्रयागराज	सदियाबाद काली माता मन्दिर पुलिया से चांदपुर चौराहे तक मार्ग का नव निर्माण कार्य।	0.65	90.95	18.19
19	2693नि0/108-01नि0/2023 , दिनांक 29.01.2024	प्रा0खं0 प्रयागराज	फाफामऊ एस0पी0ओ0एस0 से गंगा रिविकुलम स्कूल से आगे एस0एस0 शुक्ला के घर तक एवं संदीप चन्द्र के मकान से बाल कृष्ण तिवारी के घर के आगे राघवेन्द्र शुक्ला के घर तक मार्ग का नव निर्माण कार्य।	1.00	100.73	20.15
20	2693नि0/108-01नि0/2023 , दिनांक 29.01.2024	प्रा0खं0 प्रयागराज	राजापुर ओम नगर सफेदा के धमेन्द्र के घर से सुधाकर त्रिपाठी के घर होते हुए यशवंत यादव के घर होते हुए रतनाकर उपाध्याय के घर से नरेन्द्र पटेल के घर के आगे गली नं0 03 से 9 नं0 तक मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2.50	344.97	68.99
21	365 (54-सी)/समग्र वृत्त/2023-24 , दिनांक 16.02.2024	नि0खं0-1 मुरादाबाद	ग्राम नमैनी के नमैनी चौराहे से ग्राम करेली तक मार्ग।	2.55	230.21	46.04
				कुल योग-	**3867.76**	**773.52**

(1) प्रश्नगत कार्य की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। यदि द्विरावृत्ति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त करते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

(2) प्रश्नगत कार्य को उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उन पर कोई व्यय भार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्तर्गत विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान न कर दी जाय। यदि यह कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो समस्त उत्तरदायित्व संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता का होगा।

(3) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त(लेखा) अनुभाग-2 के संशोधित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-74(4)/75, दिनांक 11.11.14 द्वारा जारी संशोधित/परिवर्तित व्यवस्था के अनुसार राजकीय विभागों द्वारा कैश क्रेडिट लिमिट(सी0सी0एल0) प्रणाली व डिपार्टमेंट क्रेडिट

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

लिमिट(डी0सी0एल0) प्रणाली के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों पर दिनांक 01.04.2014 से सेन्टेज कार्यांश(लागत 100) का 6.875 प्रतिशत सेन्टेज/अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश विभाग सं0-बी-1-901/दस- 2011-231/2011, दिनांक 21.03.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित प्राप्ति लेखाशीर्षक- "1054-00-800-05-00-00" में ट्रान्सफर इंट्री डाटा क्रेडिट करके जमा की जायेगी।

(4) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(5) मूल्य ह्रास आरक्षित निधि की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/ आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। मूल्य ह्रास आरक्षित निधि की धनराशि शासनादेश सं0-3280 (1)23-9-05-25-20एसी/05, दिनांक 21.09.2005 एवं शासनादेश सं0-313/23-9-2013- 20एसी/04टीसी, दिनांक 14.03.13 में की गई व्यवस्था के अनुसार लेखाशीर्षक" 1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां- 04-टूल्स एवं प्लाण्ट की प्राप्तियां" में जमा करायी जायेगी।

(6) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा की परियोजना में जी0एस0टी0 की धनराशि समय-समय पर स्वीकृति/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार जमा की जायेगी।

(7) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2024 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 30 अप्रैल 2024 तक शासन को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।

(8) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(9) राज्य सड़क निधि हेतु गठित उ0प्र0 राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रायोजन हेतु व्यय की गयी है। विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि कार्य की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कार्य की अव्यवहारिकता दर्शाते हुए स्वीकृति निरस्त न हो।

(10) प्रश्नगत कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय। प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि न होने पाये।

(11) विभाग द्वारा यथावश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(12) प्रायोजनान्तर्गत यदि वन भूमि से संबंधित कार्य प्रस्तावित किया जाता है तो इस संबंध में आवश्यक वैधानिक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(13) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा प्रश्नगत कार्य से सम्बन्धित बचत (यदि हो तो) व कार्य पूर्णता इत्यादि की सूचना यथासमय शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबंधन विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

17.05.2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19.05.2023 में निर्धारित प्रक्रिया एवं निहित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 एवं शासनादेश सं0-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023, दिनांक 19 सितम्बर, 2023 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का पूर्णतया अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **रू0 7,73,52,000/- (रूपये सात करोड़ तिहत्तर लाख बावन हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक 5054043375800** राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

संख्या-77/2024/आई/510585(1)/23-1-24/001-23-1002(002)/49/2024, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in